31/01/25

आज यह दावा की पत्रावली प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 47 तहसीलदार तारानगर के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी (शीघ्र सुनवाई) को स्वीकार किया जाकर पेशी के ली गई।

उक्त प्रतिवादी तहसीलदार तारानगर ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 के अन्तर्गत धारा 11 व धारा 151 सीपीसी पेश किया। सूचीबद्ध दस्तावेज भी पेश किये जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी तहसीलदार तारानगर को सुना गया। इन्होंने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित जमीन ख.न. 417 व 534 रोही ग्राम तारानगर बाबत प्रस्तुत वाद सजा अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 R.T. Act को वादी द्वारा तथ्य छुपाकर

Rajendra

पेश किया गया है। इसी विवादित भूमि से सम्बन्धित मूल वाद सं० 70/2010 निर्णय दिनांक 31/05/17 द्वारा मंदिर श्री नरसिंह जी के पक्ष मे डिक्री किया जाकर दावा हाजा के वादी श्याम बाबू सहित अन्य प्रतिवादीगण के विरुद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गयी थी। विवादित भूमि के समस्त खातेदारी अधिकार उक्त मंदिर को इस निर्णय द्वारा दिये जा चुके है। उक्त दावा (निर्णित) मे दावा हाजा का वादी प्रतिवादी संख्या 09 के रूप मे संयोजित था। जिसमे इसका नाम श्यामलाल अंकित था। इसी नाम से इसने जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर जवाबदावा मय काउंटर-क्लेम पेश किया था। इस प्रकार दावा हाजा के वादी को उक्त निर्णय की पूर्ण जानकारी रही है फिर भी इसने तथ्य छुपाकर न्यायालय हाजा को मुगालते मे रखते हुये दावा पेश किया है। उक्त निर्णय से वादी व अन्य के खातेदारी अधिकार शेष नही रहे है।

इस प्रकार वाद सं० 70/2010 अनुवान मंदिर श्री नरसिंह जी बनाम हनुमान प्रसाद आदि मे निर्णय दिनांक 31/05/17 अंतिम रूप से पारित हो चुका है। दावा हाजा धारा 11 सीपीसी res-judicata से बाधित होने के कारण व तथ्यो के विपरित होने से चलने योग्य नहीं है अतः खारिज किया जावे।

प्रतिवादी तहसीलदार के कथनो पर गौर किया गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत दावा सं० 70/2010, इसकी आर्डरशीट, प्रतिवादी श्यामलाल द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा तथा पारित निर्णय की प्रमाणित फोटोप्रति व प्रस्तुत दावा हाजा का अवलोकन किया गया। निर्णित दावा मे वादी द्वारा पैरवी कर जवाब C.C पेश करना स्पष्ट प्रमाणित है। इससे प्रतीत है कि उसे निर्णय दिनांक 31/05/17 की जानकारी रही है। उक्त निर्णय से वादी व अन्य के खातेदारी अधिकार नहीं बचे है। दावा हाजा तथ्य छुपाकर पेश करना स्पष्ट प्रमाणित है। उक्त निर्णय व दावा इसी विवादित भूमि

Jayendra

हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्... अह... हुक्म...
से सम्बन्ध मे पारित होना पाया जाता है। इस प्रकार दावा हाजा धारा 11 से बाधित होने से res-judicata के प्रभाव से प्रभावित होना स्पष्ट प्रमाणित है। अतः आगे चलने योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय के शुमार की जाकर नम्बर से कम हो तथा तरतीब तकमिल होकर दाखिल दफ्तर हो। Rajendra 31.01.25 **उपखण्ड अधिकारी** **तारानगर (चूरू)**	